

(8)

**बिहार सरकार**  
**कृषि विभाग, बिहार, पटना**

पत्रांक—NHM/BHDS/116/2020- 7/2.

NHM/ पटना दिनांक 13/04/2020

प्रेषक,

डॉ० एन० सरवण कुमार, मा०प्र०से०  
सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

सभी, जिला पदाधिकारी, बिहार।  
सभी, पुलिस अधीक्षक, बिहार।

विषय : संरक्षित कृषि अर्न्तगत पॉली हाऊस/शेडनेट का निर्माण एवं छत पर बागवानी के कार्यक्रम में उपयोग में आने वाली सामग्री को Lock Down से मुक्त रखने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि योजनान्तर्गत संरक्षित कृषि के तहत पॉली हाऊस/शेडनेट का निर्माण एवं छत पर बागवानी इत्यादि का निर्माण कराया जाता है। पॉली हाऊस/शेडनेट एवं छत पर बागवानी कार्यक्रम में उपयोग होने आवश्यक सामग्रियों राज्य स्तर पर पंजीकृत कम्पनियों के द्वारा वाहन के उपयोग कर लाया जाता है और उक्त कार्यक्रम कृषि कार्य से संबंधित है।

अतः अनुरोध है कि पॉली हाऊस/शेडनेट एवं छत पर बागवानी के उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री के आवागमन पर रोक नहीं लगाने का निदेश दिया जाए, ताकि संरक्षित कृषि का कार्य प्रभावित नहीं हो पाए।

विश्वासभाजन

(डॉ० एन० सरवण कुमार)

सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञापांक :- 7/2.

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी, पुलिस महानिरीक्षक/सभी, उप पुलिस महानिरीक्षक/सभी, जिला कृषि पदाधिकारी एवं सभी, सहायक निदेशक उद्यान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

NHM/ पटना दिनांक 13/04/2020

सचिव,

कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञापांक :- 7/2 .

प्रतिलिपि :- पुलिस महानिदेशक, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

NHM/ पटना दिनांक 13/4/2020

सचिव,

कृषि विभाग, बिहार।